न्यायालय राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर

(1) अपील डिक्री/टीए./2005/3487/जयपुर

(2) अपील डिक्री/टीए./2005/3488/जयपुर

1– धन्नाराम पुत्र मांगीलाल मीणा (मृतक) जरिये वारिसान :–
1/1– ग्यारसी देवी) पुत्रियां धन्नाराम
1/2– काली)
2– शम्भू पुत्र धन्नाराम
समस्त जातियान मीणा निवासी कोल्याणा तहसील जमवारामगढ
जिला जयपुर।

.....अपीलान्टन्स

बनाम

नन्दराम पुत्र बिरदाराम जाति रेगर निवासी कोल्याणा तहसील जमवारामगढ़, जिला जयपुर।

...रेस्पोन्डेन्ट

खण्ड–पीठ
श्री हरि शंकर गोयल, सदस्य
श्री सुरेन्द्र माहेश्वरी, सदस्य

उपस्थित :–
श्री जगदीश प्रसाद माथुर, अभिभाषक अपीलान्ट
श्री योगेन्द्र सिंह, अभिभाषक रेस्पोन्डेन्ट

दिनांक : 22 मार्च, 2022

निर्णय

1– यह दोनों अपीलें अन्तर्गत धारा–224 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, जयपुर के निर्णय व डिक्री दिनांक 23–6–2005 के विरूद्ध प्रस्तुत की गयी हैं।

2– इन दोनों अपीलों के तथ्य एवं कानूनी बिन्दु एक समान होने के कारण इनकी बहस एक साथ सुनी गयी तथा इनका निस्तारण भी एक ही निर्णय द्वारा किया जा रहा है। निर्णय की एक प्रति प्रत्येक पत्रावली में संलग्न की जावे।

3– दोनो अपीलों के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार हैं कि रेस्पो. / वादी नन्दराम ने एक वाद संख्या–62/1989 न्यायालय सहायक कलेक्टर (प्रथम) जयपुर में अपीलार्थी के पिता धन्नाराम के विरूद्ध इस आशय का प्रस्तुत किया कि ग्राम कोल्याणा की आराजी खसरा नम्बर–8/1 रकबा 5 बिस्वा, खसरा नम्बर–9/1 रकबा 2 बिस्वा, खसरा नम्बर–9/2 रकबा 5 बिस्वा, खसरा नम्बर–9/3 रकबा 4 बिस्वा, खसरा नम्बर–9/4 रकबा 9 बिस्वा, खसरा नम्बर–9/5 रकबा 6 बिस्वा, खसरा नम्बर–9/6 रकबा 2 बिस्वा, खसरा नम्बर–9/7 रकबा 8 बिस्वा, खसरा नम्बर–9/8 रकबा 6 बिस्वा, खसरा नम्बर–9/9 रकबा 3 बिस्वा, खसरा नम्बर–9/10 रकबा 15 बिस्वा, खसरा नम्बर–9/11 रकबा 6 बिस्वा, खसरा नम्बर–9/12 रकबा 4 बिस्वा एवं खसरा नम्बर–91/1 रकबा 1 बीघा 7 बिस्वा, खसरा नम्बर–91/2 रकबा 1 बीघा 4 बिस्वा, खसरा नम्बर–91/3 रकबा 1 बीघा 3 बिस्वा व खसरा नम्बर–91/4 रकबा 1 बीघा 7 बिस्वा किता 17 कुल रकबा 8 बीघा 13 बिस्वा है जो नामान्तरकरण संख्या–74 दिनांक 23–1–1983 के अनुसार वादी नन्दराम पुत्र बिरदाराम जाति रेगर के खातेदार दर्ज हुई। वादी इस आराजी का एकमात्र रिकार्डेड खातेदार व काबिज काश्तकार है। उक्त आराजीयात पर वादी ने दो पुख्ता चाह कोठियों का निर्माण अपने पिता के जीवनकाल से ही करा रखा है जिसमें दो विद्युत पम्प सेट एवं विद्युत कनेक्शन भी लगे हुये हैं जिनसे उक्त आराजीयात की सिंचाई करता चला आ रहा है। उक्त भूमि पर प्रतिवादीगण का कोई अधिकार नहीं है लेकिन प्रतिवादीगण आये दिन झगड़ा करते हैं। दिनांक 10–7–1989 को प्रतिवादीगण ने एलानिया बेदखल करने की धमकी दी। इसलिये यह वाद प्रस्तुत करना पड़ रहा है। उन्होंने विवादित भूमि पर खातेदारी अधिकारों की घोषणा एवं स्थाई निषेधाज्ञा जारी करने का निवेदन किया है।

4– प्रतिवादीगण विचारण न्यायालय में उपस्थित हुये और उन्होंने दिनांक 12–10–1989 को एक जवाब दावा प्रस्तुत किया और कथन किया कि विवादित आराजी व एक कोठी पूर्व खातेदार श्योबक्श पुत्र भैंरू जाति गुर्जर की बनाई हुई थी और दूसरी कोठी प्रतिवादीगण की बनाई थी। वादीगण का उक्त भूमि व कोठी से कोई लेना देना नहीं रहा है। उक्त भूमि पर प्रतिवादीगण ही काबिज काश्त हैं। जवाबदावे में अतिरिक्त कथन करते हुये उन्होंने अंकित किया कि विवादित भूमि श्योबक्श की थी जो वादी के नाम कैसे आई, यह नहीं बताया गया है। श्योबक्श चूंकि फरार व्यक्ति था। अतः उसको सुने बिना उसके अधिकारों को समाप्त नहीं किया जा सकता है इस प्रकार राजस्व रिकार्ड में वादी का नाम गलत दर्ज कर दिया है जो विधि विरूद्ध होने के कारण बेअसर है।

5– प्रतिवादीगण ने अपने जवाब दावा में काउन्टर क्लेम भी प्रस्तुत किया जिसमें कथन किया कि विवादित आरजी पर प्रतिवादीगण का कब्जा राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 के प्रभाव में आने से पूर्व से है। अतः प्रतिवादीगण उक्त भूमि पर खातेदार काश्तकार होने के अधिकारी हैं एवं स्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त करने के अधिकारी हैं।

6– वादी ने दिनांक 13–2–1991 को काउन्टर क्लेम का जवाब अर्थात जवाब उल जवाब प्रस्तुत कर कथन किया कि विवादित आराजी व कोठी श्योबक्श गुर्जर की नहीं थी। इस नाम का कोई भी व्यक्ति गांव में नहीं है और ना ही उसके वारिसान हैं। प्रतिवादीगण का कोई कब्जा काश्त विवादित आराजी पर नहीं है। वादी अनुसूचित जाति का सदस्य है जबकि प्रतिवादी अनुसूचित जन जाति का है। इस प्रकार राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 के तहत प्रतिवादीगण को उक्त भूमि में कोई अधिकार प्राप्त नहीं हो सकते हैं।

7– दावा, जवाब दावा व जवाबुल जवाब के आधार पर परीक्षण न्यायालय ने निम्न तनकियां कायम की :–

1– आया वादी आराजीयात खसरा नम्बरान 8/1 रकबा 5 बिस्वा गैर मुमकिन चाह खसरा नम्बर–9/1 रकबा 2 बिस्वा चाही 3, खसरा नम्बर–2 रकबा 5 बिस्वा चाही, खसरा नम्बर–3 रकबा 4 बिस्वा चाही, खसरा नम्बर–4 रकबा 9 बिस्वा चाही, खसरा नम्बर–5 रकबा 6 बिस्वा चाही, खसरा नम्बर–6 रकबा 2 बिस्वा चाही, खसरा नम्बर–7 रकबा 8 बिस्वा चाही, खसरा नम्बर–8 रकबा 6 बिस्वा चाही, खसरा नम्बर–9 रकबा 3 बिस्वा चाही, खसरा नम्बर–10 रकबा 15 बिस्वा चाही, खसरा नम्बर–11 रकबा 5 बिस्वा चाही, खसरा नम्बर–9/12 रकबा 4 बिस्वा चाही, खसरा नम्बर–91/1 रकबा 1 बीघा 7 बिस्वा, खसरा नम्बर–91/2 रकबा 1 बीघा 4 बिस्वा बारानी सोयम, खसरा नम्बर–91/3 रकबा 1 बीघा 3 बिस्वा बारानी सोयम , खसरा नम्बर–91/4 रकबा 1 बीघा 7 बिस्वा बारानी सोयम, कुल किता 3/17 रकबा 8 बीघा 13 बिस्वा ग्राम कोल्याणा तहसील जमवारामगढ़ स्थित का एकमात्र रिकार्डेड खातेदार काश्तकार काबिज है।

.....वादी

2– आया वादी ने खातेदारी व कब्जे की आराजियात को सिंचित करने हेतु दो पुख्ता चाह कोठियों का निर्माण, दो विद्युत पम्पसेट एवं विद्युत कनेक्शन कर रखा है।

.....वादी/प्रतिवादी

3- आया प्रतिवादीगण अन्यत्र ग्राम के हैं एवं आराजियात से कतई कोई किसी प्रकार का संबंध नहीं है।

.....प्रतिवादी

4- आया वादी का भूमि के कब्जे काश्त स्वत्व में कोई अधिकार ही नहीं है।

.....प्रतिवादी

5- आया अन्तर्गत धारा-63 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम वादी को वाद लाने का कोई अधिकार नहीं है। वह दावा सरासर मियाद बाहर है।

.....प्रतिवादी

6- दादरसी।

8- परीक्षण न्यायालय ने उभय पक्ष की साक्ष्य दर्ज करने के पश्चात दिनांक 30-7-2001 को उक्त वाद संख्या-147/97 में निर्णय पारित कर दिया और वादी को विवादित भूमि का खातेदार काश्तकार घोषित कर दिया तथा प्रतिवादीगण को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द कर दिया।

9- उक्त निर्णय के विरूद्ध अपील संख्या-271/2001 श्योबक्श के वारिसान ने, अपील संख्या-197/2001 एवं अपील संख्या-198/2001 वर्तमान अपीलार्थीगण ने न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, जयपुर के समक्ष अपीलें प्रस्तुत कीं। विद्वान राजस्व अपील प्राधिकारी, जयपुर ने उक्त तीनों अपीलों का निस्तारण एक ही निर्णय दिनांक 7-6-2002 द्वारा कर दिया। विद्वान राजस्व अपील प्राधिकारी, जयपुर ने अपने निर्णय में अंकित किया कि श्योबक्श के वारिसान विवादित भूमि में आवश्यक पक्षकार हैं इसलिये उन्हें पक्षकार बनाकर पुनः सुनवाई की जानी चाहिये और उन्होंने प्रकरण परीक्षण न्यायालय को प्रतिप्रेषित कर दिया।

10- विद्वान राजस्व अपील प्राधिकारी, जयपुर के निर्णय दिनांक 7-6-2002 के विरूद्ध तीन अपील संख्या-11/2002, 12/2002 एवं 13/2002 राजस्व मण्डल में प्रस्तुत की गई जिनका निस्तारण भी एक ही निर्णय दिनांक 28-6-2004 द्वारा किया गया। उक्त निर्णय में राजस्व मण्डल ने इस प्रकरण में श्योबक्श के वारिसानों को प्रभावित पक्षकार नहीं माना। इसलिये राजस्व मण्डल ने विद्वान राजस्व अपील प्राधिकारी, जयपुर में प्रस्तुत अपील संख्या-271/2001 खारिज कर दी। शेष दोनों अपीलें

संख्या–197/2001 व 198/2001 को विद्वान राजस्व अपील प्राधिकारी, जयपुर को पुनः सुनवाई कर निर्णीत करने हेतु रिमाण्ड कर दिया। उक्त निर्णय की पालना में विद्वान राजस्व अपील प्राधिकारी, जयपुर ने दोनों अपील संख्या–165/2004 व 166/2004 का निस्तारण दिनांक 23–6–2005 को कर दिया और दोनों अपीलें खारिज कर दी। उक्त निर्णय से व्यथित होकर ये दोनों अपीलें इस न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की गयी हैं।

11– बहस उभयपक्ष सुनी गयी।

12– अपीलार्थी के विद्वान अभिभाषक ने अपील मीमों में अंकित तथ्यों को दोहराते हुये कथन किया कि दोनों अधीनस्थ न्यायालयों के निर्णय व डिक्री खिलाफ कानून, खिलाफ जाब्ता एवं पत्रावली पर उपलब्ध तथ्यों के विपरीत पक्षकारान के कथनों पर बिना गौर किये होने के कारण निरस्त किये जाने योग्य है। अपीलान्ट के काउन्टर क्लेम को बिना विचार किये सरसरी तौर पर खारिज कर दिया जो कि न्याय के सिद्धान्तों के विपरीत होने के कारण निरस्तनीय है। अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी ने प्लीडिंगस के आधार पर तनकीयात कायम नहीं की और कायम की गयी तनकी का निर्णय साक्ष्य एवं तथ्यों के विपरीत करने में दोनों ही अधीनस्थ न्यायालयों ने कानूनी गलती की है, इसलिये निरस्तनीय है। उन्होंने यह भी कथन किया कि वाद आवश्यक पक्षकार राज्य सरकार के अभाव में चलने योग्य नहीं है, की अनदेखी करके डिक्री व निर्णय करने में भयंकर कानूनी गलती की है। रिकार्डेड पूर्व खातेदार श्योबक्स पुत्र भैरू गुर्जर के वारिसान को ना तो वाद में पक्षकार बनाया और ना ही नोटिस दिया। अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाया जाकर दोनों अधीनस्थ न्यायालयों के निर्णय व डिक्री निरस्त फरमाया जाकर अपीलान्ट का काउन्ट क्लेम स्वीकार फरमाया जाये।

13– प्रत्यर्थीगण के विद्वान अभिभाषक ने बहस का जवाब देते हुए कथन किया कि उनके पिता बिरधा पुत्र सेडू विवादित आराजी व कोठियों पर राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 लागू होने से पूर्व से ही काबिज काश्तकार थे इसलिये वे खातेदार की श्रेणी में आते थे। अपीलार्थीगण का विवादित भूमि से कोई सरोकार ना कभी था और ना ही अब है। ऐसी स्थिति में अपीलार्थीगण का कोई हक नहीं बनता है। परीक्षण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, आमेर का निर्णय दिनांक 30–7–2001 सभी तनकियों का विवेचन करते हुये उभय पक्षों को सुनकर पारित किया है जिसमें उनका दावा डिक्री किया गया है। उक्त निर्णय के विरूद्ध तीन अपीलें न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, जयपुर में प्रस्तुत की गयी थीं। श्योबक्श के

वारिसानों को पक्षकार बनाकर सुनने हेतु न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, जयपुर ने अपील संख्या–271/2001 स्वीकार कर ली और तीनों अपीलें को निस्तारित करते हुये प्रकरण परीक्षण न्यायालय को प्रतिप्रेषित कर दिया। विद्वान राजस्व अपील प्राधिकारी, जयपुर के निर्णय के विरूद्ध तीन अपीलें माननीय राजस्व मण्डल में प्रस्तुत की गयीं जिन्हें दिनांक 28–6–2004 को निस्तारित कर दिया। उक्त निर्णय में माननीय राजस्व मण्डल ने यह मत प्रतिपादित किया था कि वर्ष 2003 के वाद से श्योबक्श अथवा उसके वारिसान का विवादित भूमि से कोई संबंध नहीं रहा है। इसलिये राजस्व मण्डल की खण्डपीठ ने अपने निर्णय में अंकित किया है कि श्योबक्श के वारिसान को अपील संख्या–271/2001 प्रस्तुत करने का कोई अधिकार नहीं था और राजस्व मण्डल ने अपील संख्या–271/2001 खारिज कर दी। इस निर्णय के विरूद्ध कोई अपील/रिट माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत नहीं की है। इस प्रकार यह मत अन्तिम हो गया है कि विवादित भूमि पर श्योबक्श व उसके वारिसान का कोई हक व हिस्सा नहीं था। चूंकि प्रत्यर्थी के पिता बिरधा का नाम राजस्व रिकार्ड में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 लागू होने से पूर्व से दर्ज है तो अब विपक्षी को उस पर आपत्ति प्रकट करने का कोई अधिकार नहीं है। खसरा गिरदावरी संवत 2008–11 में खातेदार के कॉलम में बिरधा पुत्र सेडू जाति रेगर साकिन देह दर्ज है। खसरा गिरदावरी में खातेदार का नाम जमाबन्दी की प्रविष्टि से ही अंकित किया जाता है। इसलिये प्रत्यर्थी संख्या–1 का कब्जा विधि के प्रावधानों के अनुसार है। परीक्षण न्यायालय का निर्णय दिनांक 23–6–2005 विधिसम्मत निर्णय है जो कि पोषणीय है। ये दोनों अपीलें सारहीन होने के कारण निरस्तनीय है। उन्होंने अपने तर्को के समर्थन में निम्न न्यायिक दृष्टान्त प्रस्तुत किये :–

1– डीएनजे–2008 (एससी) पेज–192
2– आरआरटी–2008(1) पेज–165
3– आरबीजे–2009 पेज–725
4– आरबीजे–2009 पेज–490

14– हमने उभयपक्ष के विद्वान अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया। विधि के सुसंगत प्रावधानों का अध्ययन किया तथा सम्पूर्ण पत्रावली का आद्योपांत अवलोकन किया गया। प्रस्तुत न्यायिक दृष्टान्तों का आदर पूर्वक अध्ययन किया गया।

15– पत्रावली का अवलोकन करने से ज्ञात होता है कि संवत 1994–2003 रजिस्टर चकबन्दी मौजा कोल्याणा में अंकित आराजी खसरा नम्बर–25 से 33 तथा आराजी खसरा नम्बर–366 व 367 किता 11

रकबा 8 बीघा 13 बिस्वा भूमि पर श्योबक्श वल्द भैरू कौम गुर्जर साकिन देह फरार बिरधा वल्द सेडू कौम रेगर साकिन देह काबिज दर्ज है। नकल खसरा गिरदावरी ई.एक्स.–ए–1 संवत 2008 से 2019 तक कॉलम संख्या–5 के नाम खातेदार में बिरदा पुत्र सेडू कौम रेगर साकिन देह दर्ज है। इसमें संवत 2008 में कुछ खसरा नम्बर में कब्जा धन्ना पुत्र मांग्या का बताया है। यहां पर यह उल्लेख करना आवश्यक है कि संवत 2003 में राजस्व रिकार्ड में श्योबक्श व बिरधा का नाम अंकित है। इसमें धन्ना पुत्र मांग्या का कोई नाम अंकित नहीं है। खसरा गिरदासरी संवत 2008–19 में कॉलम संख्या–5 नाम खातेदार में एकमात्र नाम बिरधा पुत्र सेडू कौम रेगर साकिन देह का नाम दर्ज है। खसरा गिरदावरी में खातेदार का नाम जमाबन्दी की प्रविष्टि के आधार पर अंकित होता है। इस प्रकार राजस्व रिकार्ड में केवल प्रत्यर्थी का नाम अंकित है, अपीलार्थीगण का नाम नहीं। इसके अतिरिक्त श्योबक्श के संबंध में राजस्व मण्डल की खण्डपीठ ने अपने निर्णय दिनांक 28–6–2004 में यह अभिनिर्धारित कर दिया कि विवादित आराजी में श्योबक्श व उसके वारिसान का कोई हक व हिस्सा नहीं है। उक्त निर्णय के विरूद्ध किसी भी पक्ष ने कोई भी अपील/रिट माननीय उच्च न्यायालय में प्रस्तुत नहीं की। इस प्रकार राजस्व मण्डल की खण्डपीठ का वह निर्णय अन्तिम हो गया। अब श्योबक्श का और उसके वारिसानों का इस विवादित भूमि से कोई संबंध व सरोकार नही रहा है।

16– राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 के लागू होने के पूर्व से ही प्रत्यर्थी के पिता बिरधा पुत्र सेडू कौम रेगर का नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज हो गया था। यह अंकन नामान्तरकरण संख्या–74 से हुआ बताया गया है। उक्त नामान्तरकरण के विरूद्ध कोई अपील किसी भी न्यायालय में संस्थित की गयी हो, ऐसा कोई दस्तावेज पत्रावली में नहीं है। जब राजस्थान काश्तकारी अधिनियम लागू होने से पूर्व बिरधा पुत्र सेडू का नाम राजस्व रिकार्ड में अंकित हो गया तो अब उस पर कोई प्रश्न नहीं उठाया जा सकता है। अपीलार्थी का यह कथन कि संवत 2008 की खसरा गिरदावरी में कुछ खसरा नम्बरों पर अपीलार्थी के पिता धन्ना पुत्र मांग्या मीणा का कब्जा अंकित किया है। हमें यह भी ध्यान में रखना चाहिये कि यदि किसी भूमि पर किसी भी व्यक्ति का कोई कब्जा है तो वह वैधानिक तौर पर होना चाहिये। वैध कब्जे के अभाव में वह कब्जा अवैध (अतिक्रमण) कहलाता है और कब्जाधारी ट्रेसपासर / किसी अतिक्रमी को राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 के तहत कोई भी अधिकार नहीं दिये जा सकते हैं। अतः इस आधार पर प्रत्यर्थी का विवादित भूमि पर वैध कब्जा है इसलिये परीक्षण न्यायालय ने समस्त तनकियों का विस्तृत विवेचन करते हुये निर्णय दिनांक

30-7-2001 पारित किया है और इसी के आधार पर डिक्री बनाई गई है जिसे अधीनस्थ न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, जयपुर ने यथावत रखा है। इस प्रकार दोनों अधीनस्थ न्यायालयों के निर्णय समवर्ती हैं। समवर्ती निर्णयों में राजस्व मण्डल को ज्यादा हस्तक्षेप नहीं करना चाहिये। आरबीजे-2009 पेज-725 में माननीय राजस्व मण्डल ने यह अभिमत प्रतिपादित किया है कि ''**Concurrent findings can not be disturbed in second appeal**'' हम भी इस मत से सहमत हैं। इन दोनों अपीलों में ऐसे कोई ठोस तथ्य प्रस्तुत नहीं किये हैं जिनसे अधीनस्थ न्यायालयों के निर्णयों में कुछ परिवर्तन करना पड़े।

20- अतः उपर्युक्त विवेचन के आधार पर यह दोनों अपीलें सारहीन होने के कारण खारिज की जाती हैं। अधीनस्थ न्यायालय का रिकार्ड लौटाया जाये। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तामील तकमील दाखिल दफ्तर की जावे।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(सुरेन्द्र माहेश्वरी)
सदस्य

(हरि शंकर गोयल)
सदस्य